

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 2/1/24

क्रमांक रीडर/2023/ 51

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 धन्नीदेवी पत्नी शंकरसिंह 2 राणसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।


1 द्वारकासिंह 2 भोजराजसिंह 3 चुतरसिंह पिसरान पदमसिंह 4 जसवन्तसिंह 5 ओमसिंह पिसरान कानसिंह 6 ईश्वरसिंह पुत्र देवीसिंह 7 भोमसिंह 8 मगसिंह 9 सोहनसिंह 10 दिनेशसिंह पिसरान मोहनसिंह 11 फुलसिंह 12 ओमसिंह 13 पीरसिंह 14 परमेश्वरसिंह 15 रमेशसिंह पिसरान मगसिंह 16 लेहरी पत्नी मगसिंह 17 भूरसिंह पुत्र माधूसिंह 18 सुन्दरदेवी पत्नी माधूसिंह 19 सुन्दरदेवी पत्नी लीलसिंह निवासी डिगडा बस्ती बाड़मेर गादान 21 मुकेश कुमार पुत्र ज्ञामनदास 22 जयश्री पुत्र मुकेश कुमार 23 पुनित पुत्र मुकेश कुमार जाति सिन्धी निवासी राय कॉलोनी बेरियों का वास 24 चैनसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा 25 किशन आचार्य पुत्र मगाराम जाति आचार्य निवास आचार्यो का वास बाड़मेर 26 दिलीप कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास बाड़मेर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर 27 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी, बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 08/2023

दिनांक- 26/12/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर गादान पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3278/2222 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खसरा संख्या 3285/2222 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 2/1/24

क्रमांक :- रीडर/2023/ 52455

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. धन्नीदेवी पत्नी शंकरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी द्वारकरसिंह पुत्र पदमसिंह वगैरहा निवासी डिगडा बस्ती बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर